उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–94 / 2020–21

UNITED BANK OF INDIA, B.S. CITY IND. ESTATE BRANCH, BOKARO

बनाम्

AMBIKA PUBLIC SCHOOL

–: आदेश :–

12.08.2022

प्राधिकृत पदाधिकारी, United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch, Balidih, Bokaro द्वारा धारा 14 (1) and (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत विपक्षी AMBIKA PUBLIC SCHOOL प्रो0 श्री दिनेश कुमार सिंह पिता श्री कृष्णा सिंह सा0–जैनामोड़ पो0–जैनामोड़, जिला–बोकारो एवं अन्य के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति / भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष United Bank of India की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दी गई कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Equitable Mortgage of Land/Building and structures thereon bearing Deed No. 1359 dated 04.02.2011, Mouza-Jaina Thana No.-10, Khata No.-40, Plot No. 445/973, Area-10 decimals in the name of Sri Dinesh Kumar Singh S/O Sri Krishna Singh) को गिरवी रखते हुए 60,00,000.00 (साठ लाख) रूपये का बैंक ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नही चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक–31.10.2019 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। दिनांक–31.10.2019 तक ऋणकर्त्ता पर कुल रूपये 63,95,068.00 के साथ ब्याज एवं अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया

राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT–2002 की धारा–14 (1) & (2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल–कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

द्वितीय पक्ष दिनांक–16.11.2021 से लगातार वाद की सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित है।

प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन पत्र, अभिलेख में संधारित कागजात एवं विद्वान अधिवक्ता का दलील के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विपक्षी के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी को अन्तिम अवसर प्रदान किए जाने के बाद भी वह सुनवाई के दौरान पुकार पर लगातार अनुपस्थित हैं जो उनके इस वाद में रूची के अभाव एवं ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1) एवं (2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी United Bank of India, B.S. City Ind. Estate Branch, Balidih, Bokaro द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

12.8.2022	12.8.2022
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी बोकारो।	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.02.18 13:13:43 +05:30
Location: 192.168.1.101